कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0,नैनीताल

फर्मो का पंजीकरण

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0,नैनीताल वर्ष 2017–18 के लिये विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति जैसे–कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर एसेसरिज, लैपटाप, आन–लाईन यू0पी0एस0, बैट्री, कम्प्यूटर एवं यू0पी0एस0 ए0एम0सी0, वाटर कूलर व आर0ओ0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0 कैमरा सिस्टम, लेजर तथा मल्टीफंग्शन तथा डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर, आफिस स्टेशनरी, टी0वी0, फोटो कापियर, फर्नीचर, फ्रिज, डीप फ्रिज, ई0पी0बी0एक्स0 सिस्टम, क्राकरी एवं कटलरी, लिनन सामग्री भविष्य में क्रय किये जाने हेतु विभिन्न फर्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। पंजीकरण हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ दिनांक 15.5.2017 सांय 5 बजे तक आवेदन कर सकते है। पंजीकृत फर्मो को निगम की आवश्यकतानुसार आवश्यक वस्तुओं के लिये जिन्हें वे आपूर्ति कर सकते है उन वस्तुओं को क्रय किये जाने हेतु कोटेशन प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किये जायेगें। पंजीकरण का तात्पर्य किसी भी फर्म से सामान क्रय करने की बाध्यता नही है। जो फर्म पहले से ही पंजीकृत है उन्हें भी पुनः अपनी फर्म का पंजीकरण करना होगा।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म पंजीकरण फार्म निगम के प्रधान कार्यालय कार पार्किंग, सूखाताल, नैनीताल से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक निःशुल्क प्राप्त कर सकते है अथवा निगम की वेबसाईड www.kmvn.gov.in से भी डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है।

प्रबन्ध निदेशक
कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल

Kiran

आवश्यक नियम व शर्ते

1. आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ उनकी आय,ख्याति,विनियोजन क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली,पूर्व के कार्यो (परफौरमेन्स) (जिस सामग्री की आपूर्ति की जानी हो के लिये) विक्रय के बाद दी जाने वाली सेवायें वित्तीय षृष्ठभूमि आदि का विवरण प्रस्तुत करेंगें। जिसका सत्यापन निगम स्तर से किया जायेगा।

2. आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण सामग्री की प्रकृति के आधार पर आरम्भ में एक वर्ष के लिये किया जायेगा।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के कार्यो (Performance) आचरण आदि पर निगरानी रखी जायेगी।

4. यदि कोई पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पंजीकरण की शर्तो का अनुपालन करने अथवा सामग्री की समय से आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करता है अथवा किसी सरकारी एजेन्सी की गलत घोषणा/तथ्य प्रस्तुत करता है अथवा राज्य सरकार की दृष्टि मे कोई अन्य आधार जो जनहित में न हो तो उसे आपूर्तिकर्ता (कर्ताओं) की अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।

5. आपूर्तिकर्ता पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि रू0 25,000/-(पच्चीस हजार रूपये मात्र) की एफ.डी.आर. जो कि प्रबन्ध निदेशक,कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. जिन फर्मो द्वारा पूर्व में इस निगम में अपना पंजीकरण कराया गया, उनके द्वारा भी पुनः पंजीकरण करवाया जाना होगा, साथ ही उपरोक्तानुसार रू0 25,000/-का एफ.डी.आर. आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत फर्मो द्वारा पूर्व में जमा की गई कैश धनराशि/ड्राफ्ट धनराशि का भुगतान उन्हें नवीन पंजीकरण किये जाने के उपरान्त किया जायेगा।

7. पंजीकरण का तात्पर्य यह नही है कि पंजीकृत फर्मो से सामग्री क्रय की जायेगी,सामग्री क्रय करने हेतु पंजीकृत फर्मो से कोटेशन प्राप्त किये जायेगें। क्रय सामग्री की गुणवत्ता एवं न्यूनतम दरों के आधार पर मांग के अनुसार सामग्री नियमानुसार क्रय की जायेगी।

8. प्रबन्ध निदेशक,कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0,नैनीताल को आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण नियत करने का एकल अधिकार रहेगा एवं कार्य ठीक नही पाये जाने तथा सामग्री की गुणवत्ता खराब पाये जाने की स्थिति में कभी भी पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

पंजीकरण फार्म कम सं0

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0,नैनीताल में विभिन्न सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिये आपूर्तिकर्ताओं हेतु पंजीकरण फार्म

1. आपूर्तिकर्ता का नाम – ....
2. पिता का नाम – ....
3. फर्म का नाम – ....
4. पूरा पता – ....
....
....
5. दूरभाष नम्बर – ....मोबाईल नम्बर...............................
6. ई–मेल – ....
7. स्थाई लेखा संख्या (PAN No.)(छायाप्रति संलग्न करें)..
8. वाणिज्यकर संख्या (TIN NO.) (छायाप्रति संलग्न करें)...
9. यदि किसी सरकारी/ ....
गैर सरकारी संस्था मे पूर्व से ....
पंजीकृत है तो उसका विवरण (छायाप्रति संलग्न करें)..
10. जिला उधोग केन्द्र में पंजीकरण की स्थिति में विवरण (छायाप्रति संलग्न).............................
....
11. किस सामग्री हेतु पंजीकरण कराना चाहते है–1.................................2–..........................
3–...........................4–.............................5–..6–...........................
7–...........................8–.............................9–..10–.........................
11–.........................12–..........................13–.......................................14–......................
12. धरोहर राशि का विवरण–रू0 25,000.00 एफ.डी.आर.संख्या..
बैंक का नाम..
13. संलग्न नियम एवं शर्तो के पैरा–1 के अनुसार विवरण प्रपत्र(संलग्न करें)....................
....

(आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर)

Kiran